

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन.

प्रेषक: ललित कुमार,

मकान नं. एच -28, द्वितीय तल, गली नं.-01,
प्रतापनगर, अंधा मुगल, शक्ति नगर (उत्तरी दिल्ली),
दिल्ली- 110007.

प्रेषित: मुख्य जन सूचना अधिकारी, (सी.पी आई.ओ.)
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नं. - 02, सेक्टर -29,
गुरुग्राम (हरियाणा) - 121002.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम -2005, की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र |
आदरणीय महोदय,

- 1) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस-1 ग्रेड, में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 2) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 3) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने पर्यवेक्षक एस-1 ग्रेड, में भर्ती किए गए हैं और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 4) 'पावरग्रिड' में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने कामगार डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड में भर्ती किए गए हैं और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें |
- 5) 'पावरग्रिड' के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक: 14/03/2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 की गोपनीयता की संवैधानिकता का प्रमाण उपलब्ध करावें | पावरग्रिड के किस नियमान्तर्गत का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत गोपनीय रूप में पावरग्रिड, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महा प्रबंधक के हस्ताक्षरित अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक निकाला गया, सूचना मय प्रमाणिक दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।
- 6) 'पावरग्रिड' के मानव संसाधन विभाग में कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक: 14/03/2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज व ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदनार्थ अनुमोदित नोट के प्रमाणिक दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध करावें |
- 7) प्रमाण उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कारपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमान सतीश चन्द्रा के नेतृत्व में बनी समिती द्वारा डी.पी.ई. को दी गई तीसरी पी.आर.सी. रिपोर्ट के बिन्दु 3.2 में वर्णित एफोर्डेबिलिटी (affordability) के प्रतिकूल नहीं है |

एच 312
CPAO in power
- 109
4/11/2019

ललित कुमार

8) प्रमाणित गणना उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कारपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन सन्दर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 के प्रभाव से लगभग 35 वर्षों की अवधि में दिनांक: 01.01.2017 के बाद और 30.04 2019 तक एक वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत नियमित किये गए अकार्यपालकों (एस-1 ग्रेड, डब्ल्यू - 3 एवं डब्ल्यू- 4 ग्रेड) को असंवैधानिक रूप से की गई विशेष एकमुश्त मूल वेतन वृद्धि से 'पावरग्रेड' पर अतिरिक्त वित्तीय भार का गणनात्मक प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।

10/- रुपये का IPO/नगद 51F 993525 इस पत्र के साथ आरटीआई ^{fees} के रूप में संलग्न है।

सधन्यवाद सहित,

भवदीय

ललित कुमार

(ललित कुमार)

दिनांक: शुक्रवार, 31 दिसंबर 2021.

